

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संबंधी कुछ पहलुओं का समीक्षात्मक अध्ययन

सुभाष भिमराव दोंदे

सहयोगी प्रोफेसर, जन्तु विज्ञान प्रभाग, किर्ति महाविद्यालय, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

सारांश

भारत में 25 प्रमुख नदी बेसिन हैं, जिनमें से अधिकांश नदियाँ एक से अनेक राज्यों में बहती हैं। चूंकि नदी बेसिन एक साझा संसाधन हैं, जिसके के पानी के परिरक्षण, न्याय संगत वितरण और संधारणीय उपयोग के लिए राज्यों के बीच केंद्र की पर्याप्त भागीदारी के साथ एक समन्वित प्रयास आवश्यक है। किन्तु भारत में अंतर्राज्यीय नदियाँ बरसों से विवाद का मुद्दा बना हुआ है, जो सार्वजनिक संपत्ति के अधिकारों की परस्पर विरोधी धारणाओं, एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण की कमी और जल संसाधन विकास के लिए न्यूनतावादी जल विज्ञान के प्रचलन से प्रेरित हैं। पूर्वगामी विधेयक की तुलना में, 2019 में पारित हुआ अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक, नदियों पर राज्यों के अधिकारों और सत्ता को अधिकाधिक केंद्र की ओर स्थानांतरित करता है। इस विधेयक में मौजूदा सरकार के विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए 'आउट ऑफ बॉक्स' सोच या पहल की तहत एक स्थायी ट्रिब्यूनल, विवाद समाधान समिति (डीआरसी) और विवाद समाधान प्रक्रिया की सहायता और समर्थन करने के लिए 'डेटा बैंक' के लिए तकनीकी एजेंसी नियुक्त करने का प्रावधान है। कई अंतर्निहित त्रुटियों एवं बाह्य कारकों की वजह से 1956 चे चला आ रहा पूर्वगामी अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम— सफल नहीं हो पाया जिसके तहत नौ ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे, लेकिन केवल चार ने ही अंतिम पुरस्कार दिए। विशेष रूप से कावेरी नदी तथा रावी और ब्यास नदी जल विवाद तो तीन— तीन दशकों तक चले। कई ट्रिब्यूनल के गठन से काम की द्विरावृत्ति या पुनरावृत्ति हुई और लालफीताशाही में वृद्धि हुई। इसके अलावा मुद्दे के अनावश्यक राजनीतिकरण ने असामान्य जटिलताओं को जन्म दिया जिसके कारण जल विवाद को निपटाने में अत्यधिक समय लगा। इस पृष्ठभूमि में क्या प्रस्तावित संशोधित कानून लंबे समय से चले आ रहे अनसुलझे अंतर्राज्यीय विवादों के शिरोधार्य समाधान लिए के कारगर या सक्षम साबित होगा? प्रस्तुत अनुसंधान लेख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संबंधी कुछ पहलुओं का एक समीक्षात्मक अध्ययन है।

मूल शब्द: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक-2019, स्थायी ट्रिब्यूनल, विवाद समाधान समिति (डीआरसी), नदी बेसिन

प्रस्तावना

किसी भी बहते हुये झरने, धारा या नदी को एक नदी (सरिता) पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है। बहते हुए नदी के पानी दो प्रमुख क्षेत्र हैं— तेज धारा का, उथला या छिछला पानी जहां धाराएं इतनी मजबूत हैं कि तल को साफ और दृढ़ रखा जा सके और कुंड का सुस्त गहरा पानी जहां धाराएं कम हो जाती हैं और नीचे की तरफ गाद और अन्य मलबा जमा हो जाता है। एक निकासी बेसिन या द्रोणि नदी और उसकी सभी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। एक नदी बेसिन कई अलग-अलग जलोत्सारण क्षेत्र से बना होता है; जो नदी बेसिन का एक छोटा संस्करण है। प्रत्येक धारा और सहायक नदी का अपना जलोत्सारण क्षेत्र होता है, जो एक बड़ी धारा या आर्द्रभूमि तक जाता है। वायु के बाद जल जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है, यही कारण है कि शुरू से विश्व की बहुतांश सभ्यताओं का नदी के किनारे ही विकास हुआ है। भारत की नदियों ने हमेशा भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहर नदियों के किनारे स्थित हैं। लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरतों के लिए पानी की मांग में वृद्धि दुनिया भर में संघर्ष का विषय रहा है। राजनीतिक सीमाओं के पार नदी के पानी का बंटवारा भारत भर में सदियों से संघर्ष का एक विषय रहा है जिसके चलते अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद एक आम समस्या है।

भारत में 25 प्रमुख नदी बेसिन (द्रोणि या घाटि) हैं, जिनमें से अधिकांश नदियाँ एक से अनेक राज्यों में बहती हैं। चूंकि नदी द्रोणियाँ साझा संसाधन हैं, इसलिए नदी के पानी के परिरक्षण, न्याय संगत वितरण और संधारणीय उपयोग के लिए राज्यों के बीच केंद्र की पर्याप्त भागीदारी के साथ एक समन्वित प्रयास आवश्यक है। भारत के संघीय राजनीतिक ढांचे के भीतर, अंतर्राज्यीय विवादों के लिए दो स्तरों पर संघीय समाधान के लिए केंद्र सरकार की भागीदारी की आवश्यकता होती है: शामिल राज्यों के बीच, और केंद्र और राज्यों के बीच। हालांकि, भारत में अंतरराज्यीय नदियाँ बरसों से विवाद का मुद्दा बन गया है, जो सार्वजनिक संपत्ति के अधिकारों की परस्पर विरोधी धारणाओं, एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण की कमी और जल संसाधन विकास के लिए न्यूनतावादी जल विज्ञान के प्रचलन से प्रेरित हैं। भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद से ऐतिहासिक, संस्थागत और राजनीतिक कारकों के कारण समाधान में लंबे समय तक देरी के साथ, नदी के पानी के कब्जे और नियंत्रण पर इस तरह के संघर्ष जारी हैं। हाल के वर्षों में, पानी की बढ़ती दुष्प्राप्यता, मिठे पानी की शहरी और ग्रामीण मांगों में तेजी से वृद्धि, और विवादास्पद राजनीतिक गतिशीलता ने समस्या को और बढ़ा दिया है। संघीय-क्षेत्राधिकार, ऐतिहासिक— भौगोलिक और संस्थागत यह तीन मूलभूत संरचनात्मक संदिग्धतायें हैं जो वर्तमान में

प्रणाली को प्रभावित करती हैं। ये संदिग्धतायें आपस में जुड़ी हुई हैं; और इसने भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर संवैधानिक रूप-रेखा, संस्थागत अनुक्रिया और राजनीतिक परस्पर क्रिया को आकार दिया है।

स्वतंत्र भारत में, राज्यों के पानी से संबंधित हितों को संतुलित करते हुए उसके इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक अधिकार का वितरण किया गया था। संविधान की अनुसूची 7 एक राज्य के भीतर पानी के उपयोग और अंतरराज्यीय जल को विनियमित करने के उद्देश्य के बीच भेद दिखाती है। यह केंद्रीय संसद को अंतरराज्यीय नदियों को विनियमित करने के लिए कानून और क्रियाविधि तैयार करने की अधिकार देता है; जबकि राज्य पानी के उपयोग के संबंध में जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी और तटबंधों जल भंडारण और जल शक्ति जैसे उद्देश्यों के लिए स्वायत्तता बनाए रखते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संबंध में वैधानिक और संवैधानिक क्रियाविधि के क्रमिक विकास के प्रति इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का एक अपरिशुद्ध वितरण हुआ है, जिससे संघीय-क्षेत्राधिकार संबंधी संदिग्धता पैदा हुई है।

स्वतंत्रता पश्चात अनेक असंबद्ध राज्यों का विलय हुआ। इसके बाद, भारत संघ बनाने के लिए राज्यों को तराशा गया और संघबद्ध किया गया। इसके बाद, इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक और पारिस्थितिक गतिशीलता को काफी हद तक नजर अंदाज करते हुए भारतीय राज्यों की सीमाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर विकसित होती रही हैं। बदलती सीमाएं मौजूदा क्षेत्राधिकार और संसाधन सहभागिता समझौतों को जटिल बनाती हैं और अंततः अंतर्राज्यीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्रोत बन जाती हैं, जिससे अंतर्राज्यीय नदी जल शासन में ऐतिहासिक-भौगोलिक संदिग्धता पैदा होती है। शायद प्रशासनिक सीमाओं के इस तरह के पुनः आरेखण के कारण उत्पन्न मुद्दों को पहचानते हुए, केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय नदियों के शासन और प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए उसी वर्ष अंतर्राज्यीय (नदी) जल विवाद अधिनियम, 1956 यह महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया।

परिकल्पना

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के परिप्रेक्ष्य में नदी के बहते पानी पर प्रत्येक नदी सह-तटवर्ती राज्य का समान अधिकार होने के बावजूद, राष्ट्रहित के मद्देनजर जरूरतमंद सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर अधिकता से आवंटित करना चाहिए तथा बांधों या जलाशयों के निर्माण से पहले ऊर्ध्वप्रवाही (ऊपरी) या अनुप्रवाही (निचले) तटवर्ती राज्यों को केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचना चाहिए।

क्रिया-विधि

प्रस्तुत लेख गुणात्मक विषय-वस्तु विश्लेषण के दायरे में असंरचित और गैर-संख्यात्मक डेटा पर निर्भर रहकर समस्या के सटीक स्वरूप को हल करने के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं अनुसंधान कर्ताओं के संदर्भ सूचीबद्ध प्राथमिक एवं प्रकाशित साहित्य या डेटा का समीक्षात्मक अध्ययन है।

विचार विमर्श

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 सफल नहीं हो पाया। इस अधिनियम के तहत नौ ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए थे, लेकिन केवल चार ने ही अंतिम पुरस्कार दिए। विशेष रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद को निपटाने में 28 साल लगे जो कि बहुतही लंबा अवधि है। इसी तरह रावी और ब्यास नदी जल ट्रिब्यूनल की स्थापना 1986 में हुई थी और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। कई ट्रिब्यूनल के गठन से काम की द्विरावृत्ति और पुनरावृत्ति हुई और लालफीताशाही में वृद्धि हुई। मुद्दे के अनावश्यक राजनीतिकरण ने जटिलताओं को जन्म दिया और इस प्रक्रिया को समय लेने वाला बना दिया। विधेयक लोकसभा और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की गुंजाइश छोड़ देता है और यह समाधान तंत्र को सीधे तौर पर संबोधित नहीं करता है। विवाद समाधान तंत्र बनाने का अधिकार संसद के पास है; लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और मार्गदर्शन इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों पर उसका अधिकार क्षेत्र है जबकि लोकसभा के विचार इसके विपरीत हैं।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के लिए समाधान प्रक्रिया के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के निर्णयों को लागू करने सहित, फैसला सुनाये गए विवादों में सीमित हस्तक्षेप किया है, यह मानते हुए कि ऐसे विवादों को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत हल किया जा सकता है। इस निर्णय के पीछे की विवेक स्पष्ट हैरु अदालतें, एक संवैधानिक मंच के रूप में, अवमानना के लिए दंडित करने की अपनी शक्ति के कारण कुछ हद तक सम्मान और अधिकार प्राप्त करती हैं। ट्रिब्यूनल में इस तरह के अधिकार की कमी होती है, इस प्रकार एक अधिनिर्णय को कुशलतापूर्वक लागू करने में विफल रहता है, खासकर उन विवादों में जो राजनीतिक कारणों से उलट जाते हैं। हालांकि, इस रूपरेखा या ढाँचे के भीतर, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के निर्णायक के रूप में ट्रिब्यूनल को कमजोर करती है, इसके बावजूद कि ट्रिब्यूनल को बाध्यकारी अधिनिर्णयों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था और उनके फैसलों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान बल प्रदान किया था। जबकि अनुच्छेद 262 उच्चतम न्यायपालिका को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के संदर्भ में फैसला सुनाने से रोकता है, वही अनुच्छेद 136 इसे ट्रिब्यूनलों के खिलाफ अपील सुनने और ट्रिब्यूनल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का अधिकार देता है।

इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ट्रिब्यूनलों के साथ-साथ अधिनिर्णायक बना रहता है, जिससे एक संस्थागत अस्पष्टता या संदिग्धता पैदा होती है कि कौन सा निकाय भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पर अंतिम निर्णायक शक्ति है। संघर्षपूर्ण संघराज्यवाद का दृष्ट्य परिणाम तब होता है जब केंद्र सरकार के लिए मूल रूप से परिकल्पित संवैधानिक भूमिका के अपर्याप्त प्रवर्तन के कारण जल संसाधनों से संबंधित वैधानिक अधिकार का विभाजन अनाकार या अव्यवस्थित होता है। इस प्रकार पैदा हुए खालीपन ने राज्यों को अंतरराज्यीय नदियों के पानी तक अनियंत्रित अभिगम या पहुंच की अनुमति दी है, जो अक्सर ऐतिहासिक व्यवस्थाओं पर आधारित होती है, जिसकी जड़ें सीमा पार नदियों पर संपत्ति के अधिकारों की परस्पर विरोधी धारणाओं या खाद्य-सुरक्षा के प्रति एक न्यूनतावादी दृष्टिकोण में दिखाई देती है। भूमि, पानी और खाद्य

उत्पादन की गठजोड़ या सांट-गांट पर एक साथ विचार करने वाली एकीकृत पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण की कमी, अंतर्राज्यीय नदियों से जुड़े संघर्षों को हल करने के प्रयासों में एक गंभीर अनुपस्थिति है।

अंतर्राज्यीय नदियों को केंद्र के दायरे में रखने की पारंपरिक तर्गसंगतता यह है कि चूंकि ये नदियाँ किसी सीमा (राजनीतिक या प्रशासनिक) से सीमित नहीं हैं, इसलिए कोई भी राज्य अनुप्रवाह में स्थित किसी अन्य राज्य को अपने पानी के उपयोग के विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि, हालांकि, संघराज्य सूची में 'अंतर्राज्यीय जल' का उल्लेख है, राज्य सूची में केवल 'जल' शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि राज्य की सीमाओं के भीतर अनिवार्य रूप से शसतही जल है। जिसकी वजह से राज्यों को अपनी सीमाओं के अंदर उपलब्ध 'सतही जल' की संपूर्ण सीमा पर कानून बनाने की अनुमति दी है, भले ही नदी का स्रोत या उसकी सहायक नदी उनकी सीमा के बाहर स्थित हो या नदी किसी अन्य राज्य में बह रही हो। इस संबंध में, एक राज्य केवल विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी का उपयोग करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, जब तक कि केंद्र सरकार उचित समझे। एक राज्य द्वारा अंतर्राज्यीय जल के अंधाधुंध या अविवेकपूर्ण उपयोग की स्थिति में, केंद्र व्यापक जनहित के मद्देनजर राज्य को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बना सकता है।

अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका निर्णायक है और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 (आर्थिक और सामाजिक योजना) द्वारा प्रबलित है। इस प्रावधान के लिए राज्यों को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने के लिए प्रमुख और मध्यम सिंचाई, जल विद्युत आदि से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, औपचारिक कानून के बिना भी, केंद्र सरकार के पास सार्थक नियंत्रण का उपयोग करने का अधिकार है। हालांकि, केंद्र सरकार इस भूमिका को निभाने के प्रति अनिच्छुक रही है, जिससे राज्यों को अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के अंधाधुंध और अनियमित उपयोग की ओर अग्रसर होने के लिए बढ़ावा मिला है।

सरकारिया आयोग ने नोट किया है कि इस तरह के कानून की ओर बढ़ने के लिए, संसद को उस सीमा को घोषित करने की पूर्ववर्ती शर्त का पालन करना होगा, जिस पर इसकी भागीदारी न्यायसंगत है। इसके अलावा, राज्य सूची ने अपने दायरे में अंतर्राज्यीय नदियों को शामिल करने के लिए परिचालन-संबंधी संदिग्धता पैदा करता है, जो संघराज्य के संसद के प्रवर्तन के दायरे को सीमित करता है। कावेरी के पानी के बंटवारे को लेकर संघर्ष, कर्नाटक (ऊर्ध्वप्रवाह) और तमिलनाडु (अनुप्रवाह) जैसे सह-तटवर्ती राज्यों द्वारा संपत्ति या उपयोगकर्ता अधिकारों के मुक्तलिफ या अलग-अलग चित्रण या आलेखन से उपजा है। ऐतिहासिक रूप से, तमिलनाडु ने अपने नदीमुख-भूमि में धान के खेतों को सींचने के लिए कावेरी के पानी के बड़े हिस्से का उपयोग किया है। वो दावा करता है कि राज्य में अनुप्रवाह उपयोगकर्ताओं के बहुकालभोग संबंधी अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए, जो संपत्ति अधिकारों का एक चरम सिद्धांत है। कर्नाटक का तर्क है कि तमिलनाडु में सिंचाई के विकास में विलंब या देरी कर्नाटक के लिए कावेरी के पानी पर अपने सही दावे को त्यागने का कारण नहीं होना चाहिए, खासकर जब आर्थिक विकास के लिए ऊर्ध्वप्रवाह में पानी की स्पष्ट अपर्याप्तता हो। विवाद समाधान एक स्तरित प्रक्रिया है, जैसा कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम द्वारा आज्ञापित है। एक राज्य से शिकायत मिलने के बाद, केंद्र सरकार पहले मध्यस्थता करने की कोशिश करती है। जब वार्ता विफल हो जाती है तो केंद्र को विवाद का फैसला सुनाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की धारा 5(3) के तहत ट्रिब्यूनल के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं। समझौता वार्ता से न्यायनिर्णयन तक की छलांग ने आलोचना की है, क्योंकि अवस्थांतर क्रमिक होना चाहिए और सुलह और मध्यस्थता के दर्मियानी चरणों से गुजरना चाहिए।

भारतीय राज्यसंघ नदी के मोर्चे पर एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। 2019 का संशोधित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद विधेयक नदियों पर राज्यों के अधिकारों और सत्ता को केंद्र में स्थानांतरित करता है। सवाल यह है कि नदी जल पर अंतिम फैसला किसका होना चाहिए?— केंद्र, राज्य, जनप्रतिनिधि या नौकरशाह? यह संशोधित विधेयक एक स्थायी ट्रिब्यूनल और अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे में सुधार के लिए कई अन्य उपायों का प्रस्ताव करता है। इसमें 'आरूट ऑफ बॉक्स' सोच के ऐसे तत्व हैं जो समाधान खोजने के लिए सरकार की गंभीरता को व्यक्त करते हैं। फिर भी, प्रस्तावित कानून किसी को भी हैरान करता है कि क्या यह लंबे समय से चली आ रही समस्या समस्याओं का समाधान पाने के लिए पर्याप्त या सक्षम है?

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक 2019, एक संशोधित संस्करण है। जिसमें तीन नए तत्व हैं — एक, एक स्थायी ट्रिब्यूनल जिसमें मुख्य एक्ट में अलग-अलग ट्रिब्यूनल के बजाय प्रत्येक विवाद के लिए विशेष बेंच हों; दो, एक विवाद समाधान समिति (डीआरसी) केंद्र की मध्यस्थता के बजाय मध्यस्थता वार्ता के माध्यम से एक पूर्व समाधान का प्रयास करने के लिए; और तीसरा, विवाद समाधान का समर्थन करने के लिए डेटा बैंक के लिए तकनीकी एजेंसी नियुक्त करने का प्रावधान।

एक स्थायी ट्रिब्यूनल तंत्र का औचित्य अंतरराज्यीय नदी विवादों को हल करने में देरी को कम करना है। ट्रिब्यूनल को अंतरराज्यीय नदी-जल विवाद पर निर्णय लेने में अब अधिकतम साढ़े छह साल लग सकते हैं। एक स्थायी ट्रिब्यूनल लंबे समय से चल रहे व्यक्तिगत ट्रिब्यूनल की तुलना में खर्च या लागत भी बचा सकता है। विवाद समाधान समिति की भूमिका को एक सतही तकनीकी-कानूनी निकाय से एक सक्रिय भूमिका वाली एजेंसी तक बढ़ा दिया गया है। यह भारत में अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोणों पर ज्ञान का एक संग्रह एवं दक्षिण एशिया में संभावित रूप से सीमा पार नदी जल शासन बनाने का अवसर है।

यह केंद्र को एक वर्ष में बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक 'विवाद समाधान समिति' का गठन करने के लिए बाध्य करता है। यदि विवाद समाधान समिति विवाद का निपटारा नहीं कर सकती है, तो केंद्र को इसे तीन महीने के अंदर अंतरराज्यीय ट्रिब्यूनल के पास भेजना होगा। इसलिए, यह समय-सीमा निर्धारित करता है, जबकि सभी मौजूदा ट्रिब्यूनलों को भंग या बरखास्त करने के बाद कई न्यायपीठों के साथ एक स्थायी ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। न्यायाधिकरण की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और कानून और न्याय के मंत्री और जल शक्ति (जल) मंत्रालय शामिल होंगे। ऐसा लगता

है कि यह विधेयक पहले के कानूनी व्यवस्था के दोषों को दूर करता है। लेकिन स्थायी ट्रिब्यूनल की स्थापना के बाद भी, राज्यों को सीधे 'विवाद समाधान समिति' या न्यायाधिकरण से संपर्क करने का अधिकार नहीं होगा। चूंकि चयन समिति में प्रधान मंत्री और दो केंद्रीय मंत्री होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, न्यायपालिका की भूमिका काफी कम हो गई है।

ट्रिब्यूनल न्यायाधीशों और सिविल या राजनैतिक सेवकों की सेवा के अंत में उनके लिए पार्किंग स्थल भी बन सकता है। यह संशोधन राज्यसंघवाद के खिलाफ है और केवल केंद्र की हुकूमत को बढ़ाता है। इस विधेयक में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ने की क्षमता है। केंद्र अंतरराज्यीय नदी विवादों के निर्णायक की भूमिका नहीं निभा सकता। इसे एक स्वतंत्र मध्यस्थ – अंतरराज्यीय नदी न्यायाधिकरण बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। दुर्भाग्य से, अनुभव इसके विपरीत रहा है। ट्रिब्यूनल न्यायाधीश चयन समिति में प्रधान मंत्री या अध्यक्ष के रूप में नामित व्यक्ति, कानून और न्याय मंत्री, जल शक्ति मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह संरचना राज्यों के विवादों के राजनीतिकरण के साथ-साथ ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय का जोखिम पैदा कर सकती है। यह एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां विवाद बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय पहुँच सकता है। संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित चिंताएं हैं। हो सकता है कि विवाद समाधान समिति पर्याप्त रूप से सशक्त न हो। कावेरी पर्यवेक्षी समिति (सीएससी) जिसकी संरचना विवाद समाधान समिति समकक्ष या समान थी, किंतु उसे अधिक सफलता नहीं मिली। विवाद समाधान समिति के स्थायी ट्रिब्यूनल का हिस्सा होने के बारे में अस्पष्टता है। एक विश्वसनीय डेटा बैंक के कार्य करने वाली एजेंसी के बारे में विधेयक में अस्पष्टता हैरान करने वाली है।

निष्कर्ष

अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को हल करने के संदर्भ में, मौजूदा संस्थागत तंत्र को मजबूत एवं विकसित करने के लिए अंतरराज्यीय नदी जल के शासन के परिप्रेक्ष्य में एक दीर्घकालिक और पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण मार्ग खोजने के लिए राजनीतिक संवेदनशीलता को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। नदी शासन पर सहमति दो स्तरों पर एक साथ हासिल की जानी चाहिए: संघीय सहमति और चुनावी सहमति (जन राजनीति के स्थल पर समाधान के लिए)। एक ठोस समाधान को यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में संघीय गतिशीलता को केंद्र और राज्यों के साथ-साथ राज्यों के बीच विश्वास-निर्माण की आवश्यकता है। निरंतर राजनीतिक विचार-विमर्श के आधार पर आम सहमति-निर्माण एक संस्थागत वातावरण में किया जाना चाहिए जो राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। इतिहास से पता चलता है कि आपसी संदेह ने अक्सर राजनीतिक वार्ता की प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया है, खासकर राजनीतिक दलों या गठबंधनों का विरोध करने वाले राज्यों के लिए, और राष्ट्रीय सत्ताधारी दल के विरोध में पार्टियों द्वारा शासित राज्यों के मामले में। इन शत्रुताओं ने मौजूदा संस्थागत तंत्र की प्रभावशीलता को प्रभावित किया है। सहकारी संघराज्यवाद को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से बेहतर बनाने वाली संकीर्ण मानसिकता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। संवाद और वार्ता विवाद समाधान तंत्र होना चाहिए और राजनीतिक अवसरवाद से बचना चाहिए। सहकारी दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत और पारदर्शी संस्थागत ढांचा समय की मांग है।

संदर्भ

1. आचार्यलू एम श्रीधर (2020) दी ग्रेट इंडियन रिवर क्वेश्चन: थ्री बिल्स थ्रेटनिंग फेडरलिज्म डाउन टू अर्थ <https://www-google-com@amp@s@www-downtoearth-org-in@news@water@amp@the&great&indian&river&question&three&bills&threatening&federalism&72913>
2. अय्यर आर. आर. (1994) फेडरलिज्म एंड वॉटर रिसोर्सस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली खंड 29 (13), पन्ने: 733-736- <http://www-jstor-org@stable@4400999>
3. चोक्काकुला श्रीनिवास (2019) बिल फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ वॉटर डिस्प्यूट शुल्ड फॉक्टर इन रिसेंट एस सी वर्डिक्टस इंडियन एक्सप्रेस <https://indianexpress-com@article@opinion@columns@interstate&river&water&disputes&bill&policy&making&call&of&the&river&6098671@>
4. घोष निलांजन (2016) सस्टेनिंग दी लिक्विड मौजूक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विकली खंड 51(52), पन्ने: 20 द् 24.
5. मोडक एस. और घोष अंबर कुमार (2021) फेडरलिज्म एंड इंटर-स्टेट रिवर वॉटर गवर्नेन्स इन इंडिया ओआरएफ.ऑर्ग <https://www-google-com@amp@s@www-orfonline-org@research@federalism&and&interstate&river&water&governance&in&india@>
6. स्वेन अशोक (1998) फाइट फॉर दी लास्ट ड्रॉप: इंटर-स्टेट रिवर डिस्प्यूट इन इंडिया कंटेम्पररी साऊथ एशिया, खंड 7 (2) पन्ने: 167-180.